राजस्थान सरकार

कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग

सं. 1(3)डीओपी/ए–II/2010 जयपुर, दिनांक 28.11.2017

अधिसूचना

राजस्थान के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित अनुच्छेद 233 और 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान न्यायिक सेवा (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 10 का संशोधन.**– नियम 10 के विद्यमान उप–नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"**महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.**– सीधी भर्ती में, महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण 30 प्रतिशत प्रवर्गवार होगा जिसमें से एक तिहाई विधवाओं और विच्छिन्न विवाह महिला–अभ्यर्थियों के लिए 80:20 के अनुपात में होगा। किसी वर्ष–विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह–महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों का प्रथमतः अन्तर–परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह–महिलाओं से विपर्ययेन, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह–अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में न भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेंगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विच्छिन्न विवाह–महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को पहले महिला कोटे के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण : विधवा के मामले में, उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न विवाह–महिला के मामले में उसे विवाह–विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।"

3. नियम 24 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 24 का निम्नलिखित द्वितीय परन्तुक हटाया जायेगा :–

"परन्तु यह और कि ऐसे किसी भी अभ्यर्थी की सिफारिश नहीं की जायेगी जो साक्षात्कार में न्यूनतम 25 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहता है।"

4. नियम 41 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 41 में,–

(i) निम्नलिखित प्रथम परन्तुक हटाया जायेगा :–

"परन्तु ऐसे किसी अभ्यर्थी की सिफारिश नहीं की जायेगी जो साक्षात्कार में न्यूनतम 25% अंक प्राप्त करने में विफल रहता है।"

(ii) द्वितीय परन्तुक में उल्लिखित शब्द "परन्तु" के पश्चात् और शब्द "किसी" के पूर्व शब्द "यह और कि" हटाये जायेंगे।

5. अनुसूची–VII का संशोधन.– अनुसूची–VII में दी गयी सारणी में प्रविष्टि सं. 3 साक्षात्कार में आयी अभिव्यक्ति "7.5" हटायी जायेगी।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(सुनील शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

5/1/2017